

राजस्थान सरकार
अभियोजन निदेशालय, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक :स. 3-5(2)स्था/मंत्रा/अभि/2023/938-87


जयपुर, दिनांक:- 21.09.2023

आदेश

अभियोजन निदेशालय के आदेश प. 03-06(02)स्था/मंत्रा/अभि./2012/761-811 दिनांक 14.09.2023 द्वारा वरिष्ठ सहायक से सहायक प्रशासनिक अधिकारी के पद पर पदोन्नत कार्मिकों का स्थानान्तरण/पदस्थापन लोकहित में निम्नानुसार किया जाता है :-


क्र.सं.	नाम/पद कर्मचारी	वर्तमान पदस्थापन	नवीन पदस्थापन	वि०दि
1.	श्री अनिल मेवाडा	कार्या. सहायक निदेशक अभियोजन, कोटा	कार्या. सहायक निदेशक अभियोजन, कोटा	पदोन्नति पर रिक्त पद पर
2.	श्री भानुप्रकाश थावानी	कार्या. उप निदेशक अभियोजन, राज. उच्च न्यायालय, जोधपुर	कार्या. उप निदेशक अभियोजन, राज. उच्च न्यायालय, जोधपुर	पदोन्नति पर रिक्त पद पर
3.	श्री पूरण सिंह	कार्या. सहायक निदेशक अभियोजन, भरतपुर	कार्या. सहायक निदेशक अभियोजन, भरतपुर	पदोन्नति पर रिक्त पद पर
4.	श्री मुकेश नीलमणि	कार्या. सहायक निदेशक अभियोजन, चित्तौड़गढ़	कार्या. सहायक निदेशक अभियोजन, चित्तौड़गढ़	पदोन्नति पर रिक्त पद पर
5.	श्रीमती शीला देवी	कार्या. सहायक निदेशक अभियोजन, कोटा	कार्या. सहायक निदेशक अभियोजन, कोटा	पदोन्नति पर रिक्त पद पर
6.	श्री हरिसिंह	कार्या. सहायक निदेशक अभियोजन, राजसमन्द	कार्या. सहायक निदेशक अभियोजन, राजसमन्द	पदोन्नति पर रिक्त पद पर
7.	श्री दौलत सिंह	कार्या. सहायक निदेशक अभियोजन, अजमेर	कार्या. सहायक निदेशक अभियोजन, अजमेर	पदोन्नति पर रिक्त पद पर
8.	श्रीमती मंजूबाला	कार्या. सहायक निदेशक अभियोजन, चूरु	कार्या. सहायक निदेशक अभियोजन, चूरु	पदोन्नति पर रिक्त पद पर
9.	श्री हुकम सिंह	कार्या. सहायक निदेशक अभियोजन, जोधपुर	कार्या. सहायक निदेशक अभियोजन, जोधपुर	पदोन्नति पर रिक्त पद पर
10.	श्री गिरधारीलाल आसीवाल	कार्या. सहायक निदेशक अभियोजन, अलवर	कार्या. सहायक निदेशक अभियोजन, अलवर	पदोन्नति पर रिक्त पद पर

संबंधित उप/सहायक निदेशक अभियोजन उपरोक्त कर्मचारी की कार्यमुक्ति/ कार्यग्रहण अविलम्ब कराकर पालना सुनिश्चित करें।


(रवि शर्मा)
निदेशक अभियोजन

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :

1. निजी सचिव, शासन सचिव, गृह (विधि)
2. अतिरिक्त निदेशक अभियोजन, न्याय/अभियोजन।
3. समस्त उप/सहायक निदेशक अभियोजन, राजस्थान।
4. संबंधित कर्मचारी द्वारा सहायक निदेशक अभियोजन -----।
5. संस्थापन शाखा (मंत्रालयिक)/विधि शाखा/गोपनीय शाखा/लेखा शाखा।
6. निजी/रक्षित पत्रावली।


निदेशक अभियोजन
राजस्थान, जयपुर